निरंजन - महावीर कु. नं. 124/2019

दिनांक	आज्ञा पत्र	
23.10.23	पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलंट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज......अवकाश...... पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक......17.11.23 को पेश हों।	
17.11.23	पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलंट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज......अवकाश...... पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक..2.1.24 को पेश हों।	
2.1.24	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज......[illegible]...... पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक..21.2.24 को पेश हो।	
21/2/24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक..3.4.24..को पेश हो।	
3.4.24	पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलंट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज......अवकाश...... पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक..22.5.24 को पेश हों।	
22.5.24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक..3.7.24..को पेश हो।	
3.7.24	पत्रावली पेश। वकील उपस्थित [illegible] वास्ते बहस दिनांक 31.7.24 को पेश हो।	
31.7.24	पत्रावली पेश। वकील उपस्थित [illegible] वास्ते बहस दिनांक 4.9.24 को पेश हो।	
4.9.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट एवं अपीलांट स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल [illegible] बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलांट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।	उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 124/2019

निरंजन आदि बनाम महावीर आदि

स्थगन प्रार्थना पत्र बाबत

उपस्थिति :

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री फूलचन्द थालौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–आदेश–

दिनांकः–20.12.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 163/2018 में पारित निर्णय दिनांक 15.10.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में कैवियट होने पर कैवियटकर्ता को तलब किया गया एवं उभयपक्ष को स्थगन पर सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि पैतृक है हमारा वाद विधि वर्जित नही होते हुये आदेश 7 नियम 11 में खारिज किया गया है जो विधि विरूद्व है। प्रकरण में उभयपक्ष को सुनकर समुचित साक्ष्य का अवसर देकर गुणावगुण पर निर्णय करना चाहिए था। उपहार पत्र नुमायशी है। उपहारकर्ता वृद्व व्यक्ति है। उसे कोई आवश्यकता नही थी। स्थगन आवेदन स्वीकार किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि दिनांक 10.07.1963 को हमने विवादित भूमि क्रय की है। इसका परिजनों को कोई ऐतराज नही होने का अंकन है। इसके पश्चात बंटवारा करवाया है। दिनांक 14.07.2017 को उपहार लेख निष्पादित किया गया है। इसे सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गई है। पैतृक सम्पति बाबत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कोई दस्तावेज पत्रावली पर नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। स्थगन आवेदन सारहीन है। खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विवादित भूमि रेस्पोडेंट द्वारा जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र 1963 में क्रय की गई। इसके पश्चात बंटवारा करवाया गया। फिर उपहार लेख निष्पादित किया गया है। इनको सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती नही दी गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट का वाद आदेश 7 नियम 11 में विचारण न्यायालय द्वारा खारिज करने के विरूद्व इस स्तर पर प्रथम दृष्टयां अपीलांट का स्थगन आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नही पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट का स्थगन आवेदन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 2012.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर